## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 (   ) 2014 / गोप्र / प्रमुवस /                                   दिनांक     मई, 2015

### कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के उप नियम (1) के प्रावधानान्तर्गत वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.6.2014 को हुई थी। जिसमें श्री जयराम पुत्र श्री चन्द्राराम वनपाल को सी.सी.ए.17 के अन्तर्गत परिनिन्दा का दण्ड दिया गया, जिसके कारण वर्ष 2014–15 की डी.पी.सी. में इन्हे पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 26.11.14 द्वारा उक्त दण्ड के दिए गए आदेश को अपास्त किया। इसी प्रकार श्री हजारी लाल मीणा पुत्र राम चन्द्र मीणा वनपाल के वर्ष 2011–12 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्ठि होने के कारण वर्ष 2014–15 की डी.पी.सी. में इन्हे पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2014 से उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठि को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को रिव्यू किए जाने की दिनांक 5.5.2015 से सहमति प्रदान की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 25.5.2015 को आयोजित बैठक में सर्व श्री जयराम पुत्र चन्द्राराम एवं हजारी लाल मीणा पुत्र श्री राम चन्द्र मीणा वनपालों को क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने पर क्षेत्रीय द्वितीय के वेतनमान 9300–34800, पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–10 (3600) में स्थानापन्न रूप से पदोन्नति करते हुए इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते हैः–

| क्र. स.. | नाम वनपाल | पिता का नाम | गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन स्थान | पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री जयराम | श्री चन्द्राराम | अजमेर | उप वन संरक्षक, अजमेर | क्षेत्रीय वन अधिकारी दूदू, कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर |
| 2 | श्री हजारी लाल मीणा | श्री राम चन्द्र मीणा | जयपुर | उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) | क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट, कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा |

उक्त दोनो वनपालों द्वारा दिनांक 5.6.2015 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देगे तो इनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिए जावेगे।

ह0

(डा0 एस.एस.चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 (   ) 2014 / गोप्र / प्रमुवस / 1177-1187/c          दिनांक 27 मई, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / जयपुर (उत्तर) / दौसा।
3. श्री जयराम एवं हजारी लाल मीणा वनपाल द्वारा उप वन संरक्षक, अजमेर / जयपुर (उत्तर)
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रभारी क्षेत्रीय अनुभाग कार्यालय हाजा
6. रक्षी पत्रावली।

Shikha

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राज.जयपुर